Pairvi
॥ पैरवी ॥
Public Advocacy Initiatives for Rights & Values in India

Press release

सतना, श्योपुर, खण्डवा और शिवपुरी में कुपोषण के चलते बच्चों की मृत्यु पर रोकथाम के सम्बन्ध में भोपाल हाई कोर्ट के सख्त निदेर्शों के बावजूद सरकारी अमले ने सिर्फ दिखावटी कदम ही उठाये हैं और इन इलाकों में कुपोषण से बच्चों का मरना आज भी बदस्तूर जारी है। कुछ गैर सरकारी संगठनों ने जब सतना और श्योपुर में इस तथ्य की पड़ताल की तो पाया कि विगत दस दिनों (10 अक्टूबर से 25 अक्टूबर) के छोटे से वख्वे में छ साल से कम उम्र के सात बच्चे कुपोषण की भेंट चढ़ काल का ग्रास बन चुके हैं। स्तब्ध करने वाली बात यह है कि इन मौतों की तरफ न तो सरकारी अधिकारियों ने कोई ध्यान दिया है और न ही इस दिशा में कोई ठोस सुधारात्मक कार्यवाही की गई।

राड़ेप श्योपुर से 20 कि.मी. दूर एक छोटा सा गांव है जिसमें मुख्यतः शहरिया जनजाति के लोग निवास करते हैं। फैक्ट फांइड कमेटी ने राड़ेप के 30 गांव वालों , आई.सी.डी.एस के अधिकारियों , उसी पंचायत के डाक्टर और उन बच्चों के माता पिता जिनके बच्चों की मृत्यु कुपोषण से हुई है आदि से बात चीत की तो पाया सरकार इस दिशा में पूरी तरह से उदासीन है और बच्चों की लगातार मृत्यु के बावजूद आईसीडीएस या फिर सरकारी स्वास्थ्य विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों ने इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया।

यह सब इस तथ्य के बावजूद हो रहा है कि विगत 26 सितम्बर को भोपाल हाई कोर्ट ने भोजन के अधिकार से सम्बन्धित दायर एक जनहित याचिका पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ,श्योपुर, खण्डवा तथा शिवपुरी आदि के जिलाधिकारियों से कुपोषण के चलते हुई मौतों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण मांगा था। दायर जनहित याचिका में यह आरोप लगाया गया था कि इन चार जिलों में कम से कम 163 बच्चों की मौत कुपोषण से हो चुकी है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में यह विचार व्यक्त किया था कि इस बात की सम्भावनाएं बहुत अधिक हैं कि इन बच्चों की मौत कुपोषण के चलते हुई हैं।

मरे हुए बच्चों के माता पिता ने बताया कि लगातार हो रही मौतों के बावजूद सरकारी अमले ने कोई कदम नहीं उठाया। बताया गया कि निजी चिकित्सकों के इलाज के बावजूद लम्बे समय तक बीमार रहने के बाद इन बच्चों की मौत हो गई। ज्ञात हो कि गावं वालों ने दवाओं और डक्टरों की अनउपलब्धता तथा स्टाफ के रूखे व्यवहार के चलते सरकारी अस्पतालों में जाना बन्द कर दिया है।

चाहे वह सतना हो या फिर श्योपुर – आदिवासी बच्चों को सिर्फ नमक मिर्च के साथ ही चावल या रोटी खाते देखा गया। शायद यह उनके लिए दावत ही हो कि

भाग्यवश सप्ताह में एक बार दाल खाने को मिल जाए। बच्चों को यह याद नहीं कि उन्होने आखरी बार कब दूध, मांस या फिर फल खाया था।

सतना के जिलाधिकारी हालांकि आदिवासी बच्चों में कुपोषण की स्थिति को स्वीकार करते हैं परन्तु इसके बावजूद वे नहीं मानते कि बच्चों की मृत्यु का कारण कुपोषण है। उनका कहना था कि इन बच्चों की मृत्यु पीलिया, डायरिया और बुखार या फिर लू लगने जैसी विभिन्न बिमारियों के चलते हुई है। सरकारी अस्पताल के कर्मचारी मानते हैं कि गन्दगी के चलते संक्रमण और परिवार नियोजन का अभाव ही इन बच्चों की मृत्यु का कारण है न कि कुपोषण। हालांकी इस बात के पर्याप्त चिकित्सकीय उदाहरण मौजूद हैं कि कुपोषण मौत का कारण बनने वाली उपरोक्त बिमारियों के होने की सम्भावनाओं को बढ़ता है साथ ही साथ इसके चलते बच्चों में असंख्य मारक संक्रमणों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता क्षीण हो जाती है।

भोपाल हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद राज्य और केन्द्र सरकार के संयुक्त तत्वाधान में गठित एक कमेटी ने सितम्बर माह के आखरी सप्ताह मे सतना जिले का दौरा किया था, हैरानी की बात है कि यह कमेटी जिले में कहीं भी तीसरे और चौथे दर्जे का कुपोषण चिन्हित करने में असमर्थ रही।
इधर गैर सरकारी सन्थाओं द्वारा गठित ईकाई ने शहरिया,कोल,मवासी और बैगा जनजाति के 200 आदिवासियों से उनके गांव राड़ेप (श्योपुर), भट्ठन टोला और चितहारा (सतना) तथा चौफाल कोठार (सीधी) जा कर बातचीत की। गठित ईकाई ने पाया कि ज्यातर बच्चे अक्सर बीमार पड़ते रहते हैं और वे इस हद तक कुपोषित कि उन्हें गम्भीर संक्रमण या फिर बिमारियां कभी भी अपनी शिकार बना सकती हैं। हांलाकि कुपोषण से निपटने के लिए सरकार द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों में पोषणाहार देने की व्यवस्था की गई है परन्तु नाम न उजागर होने की शर्त पर एक आईसीडीएस सुपरवाईजर ने बताया कि पोषणाहार प्रदान करने के लिए 248 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओ की नियुक्ति की जानी थी जबकी अब तक मात्र 44 कार्यकर्ताओं की ही नियुक्ति हुई है। तस्वीर का दूसरा पहलू यह भी है कि जहां कार्यकर्ता उपलब्ध हैं वहां भी आंगनबाड़ी केन्द्र आदिवासियों के लिए कुछ खास मददगार साबित नहीं हुए हैं। आजीविका कमाने के लिए दिन रात मश्क्कत करते आदिवासियों के लिए यह सम्भव नहीं है कि वे अपने बच्चों को ऐसे केन्द्र में छोड़ कर जाएं जहां उनकी देखभाल मात्र चार घण्टे(8 बजे सुबह से 12 बजे दोपहर तक) के लिए की जाती हो, क्योकि ऐसे में यह एक समस्या है कि काम पर गए माता पिता के बिना 12 बजे के बाद वो बच्चा कहां जाए जबकी उसकी उम्र 5 साल से कम है। ऊपर से आगनबाड़ी केन्द्रो की स्थिति पर मात्र एक नजर डाल ली जाए तो आसानी से पता चल जाता है कि ये केन्द्र न

तो बच्चों को कुपोषण से बचाने में सक्षम हैं और न ही उनकी देखभाल में। जहां तक स्वास्थ्य सुविधाओं का सवाल है इस सम्बन्ध में यह पाया गया कि अधिकाशं आदिवासी निजी चिकित्सको से ईलाज करवाना ही पसन्द करते हैं या फिर ऐसा करने को मजबूर हैं क्योकि निजी चिकित्सक उनका ईलाज उधार पर भी कर देते हैं जबकी सरकारी चिकित्सक दिन में सिर्फ चार घण्टे ही उपलब्ध रहते हैं ऊपर से उनके पास गए मरीजों को यह सलाह भी दी जाती है कि यदि उन्हें अपना बेहतर ईलाज करवाना है तो वे इन चिकित्सकों द्वारा चलाए जा रहे निजी अस्पताल पर ईलाज करवाने आए। यह भी पाया गया कि जच्चा–बच्चा को कुपोषण से बचाने के लिए जो मुफ्त आयरन– विटामिन टेबलेट या फिर आईसीडीएस से पोषण मिलना चाहिए वो भी इन्हें मुश्किल से ही मिल पाते हैं और जननी सुरक्षा योजना के तहत जननी को दी जाने वाली 1600 रू. की धनराशि का आधा हिस्सा भी प्रायः अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा हड़प लिया जाता है। ऐसे में इन केन्द्रों से आदिवासियों का भरोसा उठ चुका है और वे निजी चिकित्सको से ईलाज करवाने पर अभिशप्त हैं । इस तरह ये आदिवासी अपनी कमाई का अधिकाशं हिस्सा दवा पर ही खर्च कर देते हैं और इससे उपजी तंगहाली कुपोषण को और अधिक विकट बना देती है।

रोजगार योजनाओं के बारे में बातचीत की गई तो पता चला इन जिलों में इस पूरे साल के दौरान अक्टूबर 2008 तक लोगों को 30 दिन से अधिक का काम नहीं मिला है।सतना जिले के कोल और मवासी आदिवासियों ने बताया कि गावों में कुछ दिनों के लिए काम उपलब्ध हुआ भी था तो यह सिर्फ उन लोगो को मिला जो गांव के सरपंच के निकट थे अन्यथा शेष को एक भी दिन का काम नहीं मिला। जिन्हें काम मिला भी उन्हें भी 85 रू. प्रति दिन की मजदूरी के बजाए मात्र 69रू. प्रति दिन के हिसाब से ही भुगतान हुआ।बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्हें काम खत्म किए 6 महीने से अधिक बीत चुके हैं परन्तु उन्हें इसकी मजदूरी अभी तक नहीं मिली। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं मिला जिसे नियम अनुसार बेरोजगारी भत्ता मिला हो।

यहां इस बात का जिक्र आवश्क है कि प्रति 1000 नवजात बच्चों में 72 की मृत्यु दर के कारण मध्यप्रदेश वैसे भी शिशु मृत्यु दर तालिका में उंचा स्थान रखता है। गम्भीर बात यह है कि एनएफएचएस –3 ने अपनी रिपोर्ट में 60. 3% बच्यों को कुपोषण का शिकार बताया है, एनएफचएस–2 की रिपोर्ट से तुलना की जाए तो पता चलता है कि राज्य में कुपोषण अब पहले की तुलना में 6 प्रतिशत अधिक हो गया है। यह सारी परिस्थितियां बताती हैं कि राज्य उन पूर्वाश्कताओं की पूर्ति में पिछड़ गया है जो कुपोषण से निपटने के लिए आवश्क हैं, यह स्थित राज्य के मासूम बच्चों की बलि ले रही है। यदि जल्द ही इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया तो (दुर्भाग्य से चुनावों के चलते इस बात की सम्भावना कम नजर आती है कि ऐसा कोई कदम उठाया जाएगा) बहुत से अन्य आदिवासी बच्चे कुपोषण की भेंट चढ़ जाएंगे।

उन बच्चों की सूची जो 13 अक्टूबर 2008 से 25 अक्टूबर 2008 के दौरान कुपोषण के चलते मारे गए।

क्रमांक	मृत बच्चे का नाम	अभिभावक का नाम	उम्र	गांव	जिस दिन मृत्यु हुई
1.	करन्ता	सुशीला देवी	1 ½ साल	राड़ेप	25/10/08
2.	बिटासा	बनवारी	1½ साल	राड़ेप	22/10/08
3.	अन्जू	बैद्या	6 साल	राड़ेप	19/10/08
4.	लालू	प्रीतम	1 ½ साल	राड़ेप	15/10/08
5.	खुशबू	राजबीर	1 ½ साल	राड़ेप	15/10/08
6.	वर्षा	मनीष	1 ½ साल	राड़ेप	15/10/08
7.	नरेश	सुनील	1 ½ years	राड़ेप	13/10/08

There is an also a list of 31 children, who died in Sheopur district from 9th September to 24th September, 2008.

Note: The fact finding was conducted by Pairvi in association with Advasi Adhikar Manch, (Satna) and Sahariya Mukti Morcha, (Sheopur) during 20th to 27th October .

They can be contacted at the following phone numbers: -

1.) Mr. Ajay K. Jha (Pairvi) - +91 9868041602.
2.) Mr. Prashant Kumar (Pairvi) - +91 9868665189.
3.) Mr. Pawan Miraj (Pairvi) - +91 9179371433.
4.) Mr. Anand (Advasi Adhikar Manch) - +91 9407017163.
5.) Ms. Uma Chaturvedi (Sahariya Mukti Morcha) - +91 9179812125.

Other important numbers: -

1.) Shri Shobhit Jain, District Collector, Sheopur- 07530-220058(O), 220181(R), Fax-220059.
2.) Shri V.A. Kureel, District Collector, Satna- 07672- 222911(O), 224688 (R), Fax-222920.